

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	29036.36	...	29036.36	33079.70	250.00	33329.70	41015.96	250.00	41265.96	46778.08	2752.00	49530.08
<b>वसूलियां</b>	-10.03	...	-10.03	...	...	...	-6403.50	...	-6403.50	-14519.79	...	-14519.79
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>29026.33</b>	...	<b>29026.33</b>	<b>33079.70</b>	<b>250.00</b>	<b>33329.70</b>	<b>34612.46</b>	<b>250.00</b>	<b>34862.46</b>	<b>32258.29</b>	<b>2752.00</b>	<b>35010.29</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	94.80	...	94.80	101.73	...	101.73	101.73	...	101.73	103.23	...	103.23
2. हिन्दी निदेशालय	38.88	...	38.88	46.53	...	46.53	46.53	...	46.53	46.30	...	46.30
3. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)	9.79	...	9.79	12.10	...	12.10	12.10	...	12.10	12.10	...	12.10
4. केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	26.97	...	26.97	40.50	...	40.50	42.50	...	42.50	38.07	2.00	40.07
5. विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान	5.87	...	5.87	7.27	...	7.27	7.27	...	7.27	7.27	...	7.27
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>176.31</b>	...	<b>176.31</b>	<b>208.13</b>	...	<b>208.13</b>	<b>210.13</b>	...	<b>210.13</b>	<b>206.97</b>	<b>2.00</b>	<b>208.97</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>उच्चतर शिक्षा</b>												
6. केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नत सम विश्वविद्यालय	54.32	...	54.32	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	...	...	...
7. राष्ट्रीय खेलकूद और देखभाल कार्यक्रम	...	...	...	1.00	...	1.00	0.62	...	0.62	1.00	...	1.00
8. उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल	1.92	...	1.92	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
9. सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
10. राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स	0.89	...	0.89	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30
11. कापीराइट बोर्ड	0.07	...	0.07	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. कापीराइट कार्यालय	0.17	...	0.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-अनुशासनिक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00
14. उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए)	...	...	...	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	2750.00	2750.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. विश्व स्तरीय संस्थान	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	250.00	...	250.00
16. प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास	...	...	...	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
<b>जोड़-उच्चतर शिक्षा</b>	<b>57.37</b>	...	<b>57.37</b>	<b>145.30</b>	<b>250.00</b>	<b>395.30</b>	<b>83.92</b>	<b>250.00</b>	<b>333.92</b>	<b>295.30</b>	<b>2750.00</b>	<b>3045.30</b>
<b>छात्र वित्तीय सहायता</b>												
17. गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान												
17.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	1850.00	...	1850.00	1950.00	...	1950.00	1950.00	...	1950.00	30.00	...	30.00
17.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2120.00	...	2120.00
<b>जोड़- गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान</b>	<b>1850.00</b>	...	<b>1850.00</b>	<b>1950.00</b>	...	<b>1950.00</b>	<b>1950.00</b>	...	<b>1950.00</b>	<b>2150.00</b>	...	<b>2150.00</b>
18. कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति												
18.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	240.49	...	240.49	320.00	...	320.00	294.00	...	294.00	40.00	...	40.00
18.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
<b>जोड़- कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति</b>	<b>240.49</b>	...	<b>240.49</b>	<b>320.00</b>	...	<b>320.00</b>	<b>294.00</b>	...	<b>294.00</b>	<b>340.00</b>	...	<b>340.00</b>
19. पीएम शोध अध्येतावृत्ति	...	...	...	75.00	...	75.00	...	...	...	75.00	...	75.00
20. एम.टेक कार्यक्रम शिक्षण सहायता	...	...	...	35.00	...	35.00	...	...	...	35.00	...	35.00
<b>जोड़-छात्र वित्तीय सहायता</b>	<b>2090.49</b>	...	<b>2090.49</b>	<b>2380.00</b>	...	<b>2380.00</b>	<b>2244.00</b>	...	<b>2244.00</b>	<b>2600.00</b>	...	<b>2600.00</b>
<b>डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग</b>												
21. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	145.24	...	145.24	150.00	...	150.00	160.00	...	160.00	150.00	...	150.00
22. वर्चुअल कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) सुव्यवस्थित करना	61.00	...	61.00	75.00	...	75.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
23. ई-शोध सिंधु	235.00	...	235.00	240.00	...	240.00	240.00	...	240.00	180.00	...	180.00
24. उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	10.40	...	10.40	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	16.00	...	16.00
25. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
26. राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी	...	...	...	10.00	...	10.00	6.00	...	6.00	10.00	...	10.00
<b>जोड़-डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग</b>	<b>451.64</b>	...	<b>451.64</b>	<b>497.00</b>	...	<b>497.00</b>	<b>518.00</b>	...	<b>518.00</b>	<b>456.00</b>	...	<b>456.00</b>
<b>अनुसंधान और नवोन्मेष</b>												
27. अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
28. अंतर सांस्थानिक केन्द्र स्थापित करना , उत्कृष्टता क्लस्टरों और नेटवर्कों की स्थापना, संस्थाओं में सहयोगियों को स्थापित करना	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...	2.00	...	2.00
29. राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	20.09	...	20.09	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00	32.00	...	32.00
30. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल	50.00	...	50.00	86.45	...	86.45	86.45	...	86.45	84.23	...	84.23
31. उन्नत भारत अभियान	5.16	...	5.16	20.00	...	20.00	12.40	...	12.40	20.00	...	20.00
32. उच्चतर अविष्कार अभियान	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	88.48	...	88.48	95.00	...	95.00
33. इम्प्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव)	50.00	...	50.00	85.00	...	85.00	85.00	...	85.00	102.00	...	102.00
<b>जोड़-अनुसंधान और नवोन्मेष</b>	<b>215.25</b>	...	<b>215.25</b>	<b>315.45</b>	...	<b>315.45</b>	<b>319.33</b>	...	<b>319.33</b>	<b>350.23</b>	...	<b>350.23</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>34. पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन</b>												
34.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	70.04	...	70.04	120.00	...	120.00	100.00	...	100.00	20.00	...	20.00
34.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
<i>जोड़- पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन</i>	<i>70.04</i>	<i>...</i>	<i>70.04</i>	<i>120.00</i>	<i>...</i>	<i>120.00</i>	<i>100.00</i>	<i>...</i>	<i>100.00</i>	<i>120.00</i>	<i>...</i>	<i>120.00</i>
<b>35. राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यवाही</b>	3.00	...	3.00	5.41	...	5.41	3.41	...	3.41	3.00	...	3.00
<b>36. शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान)</b>	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
<b>37. भारत सरकार को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी)</b>	109.78	...	109.78	260.00	...	260.00	158.75	...	158.75	275.00	...	275.00
<b>38. सामुदायिक कॉलेज सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा को सहायता</b>	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00
<b>39. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम</b>	97.72	...	97.72	110.00	...	110.00	110.00	...	110.00	125.00	...	125.00
<b>40. योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम</b>	59.99	...	59.99	67.59	...	67.59	71.73	...	71.73	67.59	...	67.59
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>3225.28</b>	<b>...</b>	<b>3225.28</b>	<b>3975.75</b>	<b>250.00</b>	<b>4225.75</b>	<b>3659.14</b>	<b>250.00</b>	<b>3909.14</b>	<b>4362.12</b>	<b>2750.00</b>	<b>7112.12</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>सांविधिक और विनियामक निकाय</b>												
<b>41. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)</b>												
41.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	4471.92	...	4471.92	4691.94	...	4691.94	4922.74	...	4922.74	3022.23	...	3022.23
41.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1700.52	...	1700.52
<i>जोड़- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)</i>	<i>4471.92</i>	<i>...</i>	<i>4471.92</i>	<i>4691.94</i>	<i>...</i>	<i>4691.94</i>	<i>4922.74</i>	<i>...</i>	<i>4922.74</i>	<i>4722.75</i>	<i>...</i>	<i>4722.75</i>
<b>अन्य संस्थाओं को सहायता</b>												
<b>42. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)</b>												
42.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	480.00	...	480.00	485.00	...	485.00	485.00	...	485.00	65.00	...	65.00
42.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	420.00	...	420.00
<i>जोड़- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)</i>	<i>480.00</i>	<i>...</i>	<i>480.00</i>	<i>485.00</i>	<i>...</i>	<i>485.00</i>	<i>485.00</i>	<i>...</i>	<i>485.00</i>	<i>485.00</i>	<i>...</i>	<i>485.00</i>
<b>जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय</b>	<b>4951.92</b>	<b>...</b>	<b>4951.92</b>	<b>5176.94</b>	<b>...</b>	<b>5176.94</b>	<b>5407.74</b>	<b>...</b>	<b>5407.74</b>	<b>5207.75</b>	<b>...</b>	<b>5207.75</b>
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
<b>43. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)</b>												
43.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	6355.93	...	6355.93	6485.93	...	6485.93	7261.42	...	7261.42	2798.96	...	2798.96
43.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	900.00	...	900.00
43.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2746.27	...	2746.27
<i>जोड़- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस)</i>	<i>6355.93</i>	<i>...</i>	<i>6355.93</i>	<i>6485.93</i>	<i>...</i>	<i>6485.93</i>	<i>7261.42</i>	<i>...</i>	<i>7261.42</i>	<i>6445.23</i>	<i>...</i>	<i>6445.23</i>
<b>44. केन्द्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश</b>	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	10.00	...	10.00
<b>45. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय</b>	0.33	...	0.33	20.00	...	20.00	...	...	...	20.00	...	20.00
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>												
<b>46. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता</b>												
46.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	4973.98	...	4973.98	7171.00	...	7171.00	1100.00	...	1100.00	680.00	...	680.00
46.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	850.00	...	850.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
46.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	...	...	...	...	...	...	6403.50	...	6403.50	4083.00	...	4083.00
<i>जोड़- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता</i>	<i>4973.98</i>	...	<i>4973.98</i>	<i>7171.00</i>	...	<i>7171.00</i>	<i>7503.50</i>	...	<i>7503.50</i>	<i>5613.00</i>	...	<i>5613.00</i>
47. आईआईटी आंध्र प्रदेश	28.99	...	28.99	50.00	...	50.00	51.30	...	51.30	50.00	...	50.00
48. आईआईटी हैदराबाद (ईएपी)	20.00	...	20.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00
49. भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	185.20	...	185.20	210.00	...	210.00	240.00	...	240.00	240.00	...	240.00
50. नए आईआईटी की स्थापना	171.53	...	171.53	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	338.00	...	338.00
51. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00
<b>जोड़-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>	<b>5379.70</b>	...	<b>5379.70</b>	<b>7856.00</b>	...	<b>7856.00</b>	<b>8244.80</b>	...	<b>8244.80</b>	<b>6326.00</b>	...	<b>6326.00</b>
<b>भारतीय प्रबन्ध संस्थान</b>												
52. भारतीय प्रबन्ध संस्थान को सहायता	636.78	...	636.78	800.00	...	800.00	917.00	...	917.00	828.00	...	828.00
53. आईआईएम, आंध्र प्रदेश	17.97	...	17.97	40.00	...	40.00	41.00	...	41.00	42.00	...	42.00
54. नए आईआईएम की स्थापना	67.81	...	67.81	190.00	...	190.00	110.00	...	110.00	166.00	...	166.00
<b>जोड़-भारतीय प्रबन्ध संस्थान</b>	<b>722.56</b>	...	<b>722.56</b>	<b>1030.00</b>	...	<b>1030.00</b>	<b>1068.00</b>	...	<b>1068.00</b>	<b>1036.00</b>	...	<b>1036.00</b>
<b>राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>												
55. <i>राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता</i>												
55.01 सकल बजटीय सहायता से पूरी गई राशि	2751.30	...	2751.30	3280.00	...	3280.00	3484.40	...	3484.40	2919.40	...	2919.40
55.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
<i>जोड़- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता</i>	<i>2751.30</i>	...	<i>2751.30</i>	<i>3280.00</i>	...	<i>3280.00</i>	<i>3484.40</i>	...	<i>3484.40</i>	<i>3019.40</i>	...	<i>3019.40</i>
56. एनआईटी आंध्र प्रदेश	10.29	...	10.29	50.00	...	50.00	53.77	...	53.77	54.00	...	54.00
57. भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन (आईआईएसटी) (वीईएसयू एवं सीयूएसएटी)	98.82	...	98.82	110.00	...	110.00	130.00	...	130.00	130.00	...	130.00
<b>जोड़-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान</b>	<b>2860.41</b>	...	<b>2860.41</b>	<b>3440.00</b>	...	<b>3440.00</b>	<b>3668.17</b>	...	<b>3668.17</b>	<b>3203.40</b>	...	<b>3203.40</b>
<b>भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)</b>												
58. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	1162.52	...	1162.52	600.00	...	600.00	665.00	...	665.00	640.00	...	640.00
59. आईआईएसईआर, आंध्र प्रदेश	36.00	...	36.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	49.00	...	49.00
<b>जोड़-भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)</b>	<b>1198.52</b>	...	<b>1198.52</b>	<b>650.00</b>	...	<b>650.00</b>	<b>715.00</b>	...	<b>715.00</b>	<b>689.00</b>	...	<b>689.00</b>
60. भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (आईआईएससी)	...	...	...	450.00	...	450.00	520.00	...	520.00	455.00	...	455.00
<b>भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान</b>												
61. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता देना (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम)	99.67	...	99.67	240.00	...	240.00	240.00	...	240.00	214.47	...	214.47
62. सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	58.84	...	58.84	109.45	...	109.45	109.45	...	109.45	119.45	...	119.45
63. आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश	17.00	...	17.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00
<b>जोड़-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान</b>	<b>175.51</b>	...	<b>175.51</b>	<b>379.45</b>	...	<b>379.45</b>	<b>369.45</b>	...	<b>369.45</b>	<b>363.92</b>	...	<b>363.92</b>
64. मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	259.22	...	259.22	285.00	...	285.00	293.50	...	293.50	285.00	...	285.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
65. भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान	283.88	...	283.88	355.00	...	355.00	390.31	...	390.31	352.00	...	352.00
66. राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई	35.10	...	35.10	35.10	...	35.10	38.25	...	38.25	37.25	...	37.25
67. आयोजना एवं वास्तुकला के नए स्कूल	88.31	...	88.31	100.00	...	100.00	102.00	...	102.00	202.00	...	202.00
68. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	119.75	...	119.75	130.00	...	130.00	132.00	...	132.00	130.00	...	130.00
69. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर	17.14	...	17.14	19.00	...	19.00	23.50	...	23.50	20.00	...	20.00
70. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
71. अन्य संस्थानों को सहायता	242.46	...	242.46	373.40	...	373.40	438.45	...	438.45	396.65	...	396.65
72. केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नत मानद विश्वविद्यालय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60.00	...	60.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>17838.82</b>	...	<b>17838.82</b>	<b>21718.88</b>	...	<b>21718.88</b>	<b>23364.85</b>	...	<b>23364.85</b>	<b>20131.45</b>	...	<b>20131.45</b>
<b>अन्य</b>												
73. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष से अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7690.52	...	7690.52
74. माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कोष से अंतरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-7690.52	...	-7690.52
75. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	6403.50	...	6403.50	6829.27	...	6829.27
76. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	...	...	...	...	...	...	-6403.50	...	-6403.50	-6829.27	...	-6829.27
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>22790.74</b>	...	<b>22790.74</b>	<b>26895.82</b>	...	<b>26895.82</b>	<b>28772.59</b>	...	<b>28772.59</b>	<b>25339.20</b>	...	<b>25339.20</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय शिक्षा मिशन</b>												
77. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)												
77.01 सकल वजटीय सहायता से पूरी गई राशि	1416.06	...	1416.06	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1300.00	200.00	...	200.00
77.02 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1200.00	...	1200.00
<b>जोड़- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)</b>	<b>1416.06</b>	...	<b>1416.06</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1400.00</b>	...	<b>1400.00</b>
78. वास्तविक वसूली	-10.03	...	-10.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>1406.03</b>	...	<b>1406.03</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1400.00</b>	...	<b>1400.00</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
79. विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	1427.97	...	1427.97	700.00	...	700.00	670.60	...	670.60	950.00	...	950.00
<b>कुल जोड़</b>	<b>29026.33</b>	...	<b>29026.33</b>	<b>33079.70</b>	<b>250.00</b>	<b>33329.70</b>	<b>34612.46</b>	<b>250.00</b>	<b>34862.46</b>	<b>32258.29</b>	<b>2752.00</b>	<b>35010.29</b>
<b>ख. योजना परिव्यय</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. मंत्रिपरिषद	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. सामान्य शिक्षा	14424.64	...	14424.64	14680.97	...	14680.97	15009.05	...	15009.05	14286.35	...	14286.35
3. तकनीकी शिक्षा	11676.66	...	11676.66	14404.00	...	14404.00	14932.63	...	14932.63	14439.08	...	14439.08
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	94.78	...	94.78	101.73	...	101.73	101.73	...	101.73	103.23	...	103.23
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	2752.00	2752.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>26196.08</b>	...	<b>26196.08</b>	<b>29186.70</b>	<b>250.00</b>	<b>29436.70</b>	<b>30043.41</b>	<b>250.00</b>	<b>30293.41</b>	<b>28828.66</b>	<b>2752.00</b>	<b>31580.66</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	2078.00	...	2078.00	2783.45	...	2783.45	2459.63	...	2459.63
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2825.41	...	2825.41	1745.00	...	1745.00	1715.60	...	1715.60	960.00	...	960.00
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.84	...	4.84	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	10.00	...	10.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2830.25</b>	...	<b>2830.25</b>	<b>3893.00</b>	...	<b>3893.00</b>	<b>4569.05</b>	...	<b>4569.05</b>	<b>3429.63</b>	...	<b>3429.63</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>29026.33</b>	...	<b>29026.33</b>	<b>33079.70</b>	<b>250.00</b>	<b>33329.70</b>	<b>34612.46</b>	<b>250.00</b>	<b>34862.46</b>	<b>32258.29</b>	<b>2752.00</b>	<b>35010.29</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1.	...	...	...	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	2750.00	...	2750.00
<b>जोड़</b>	...	...	...	<b>250.00</b>	...	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	...	<b>250.00</b>	<b>2750.00</b>	...	<b>2750.00</b>

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय का प्रावधान है। प्रस्ता वित्त बजट, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण के साथ-साथ परामर्शी प्रभागों आदि, जो मंत्रालय और विभागों के दोनों में ई-गवर्नेंस कार्यकलापों के सुदृढीकरण के लिए जरूरी है, के लिए भी आवश्यक है।

2. **हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1960 में की गई थी ताकि सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार एवं विकास किया जा सके। यह द्विभाषी/त्रिभाषी शब्द कोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम और हिन्दी लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने की योजनाएं चलाता है।

3. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1961 में की गई थी ताकि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का मूल्यांकन हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में किया जा सके। आयोग विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की एक स्कीम चलाता है ताकि विश्वविद्यालय स्तर पर अनुदेश का माध्यम भारतीय भाषाओं में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें विकसित करने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षाविदों से समन्वय करता है।
4. **केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर तथा क्षेत्रीय भाषा केन्द्र:** केन्द्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान अपने मुख्य परिसर मैसूर एवं सात अन्य क्षेत्रीय केन्द्र जो क्रमशः भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे एवं सोलन में स्थित हैं, की स्थापना जुलाई 1969 में की गई थी। यह भारत सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन/विकास में सहायता करता है और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भाषा विश्लेषण के क्षेत्र में शोध, भाषा, शिक्षा-शास्त्र, भाषा तकनीक तथा भाषा का समाज में उपयोग के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। यह विभिन्न भाषाओं के स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।
5. **विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थान:** इसमें यूनेस्को और भारत के स्थाई शिष्टाभंडल के प्रावधान के साथ-साथ पेरिस और न्यूयार्क में भारत के महा वाणिज्य दूतावास का प्रावधान भी शामिल है।
6. **केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नत सम विश्वविद्यालय** कृपया क्रम संख्या 72 देखें।
7. **राष्ट्रीय खेलकूद और देखभाल कार्यक्रम:** इस स्कीम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में फिटनेस तथा देखभाल के साथ सामान्य संस्थागत अपेक्षा के रूप में शारीरिक शिक्षा को शामिल करना, खेलकूद में मौजूदा भागीदारी को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद अवसंरचना, आंतरिक अनुशासनिक शोध केन्द्र की स्थापना और खेलकूद संबंधी सूचना नेटवर्क का सृजन करना शामिल है।
8. **उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल:** इसमें उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल का प्रावधान शामिल है।
9. **सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल:** सामाजिक दायित्वों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय पहल के लिए 1.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
10. **राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स:** यह स्कीम राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर्स द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मान्यता प्रदान करने के संबंध में है। इस योजना के तहत एनआरपी को शोध कार्य जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
11. **कापीराइट बोर्ड:** इस स्कीम को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अंतरित कर दिया गया है।
12. **कापीराइट कार्यालय:** इस स्कीम को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को अंतरित कर दिया गया है।
13. **केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय (सीयूएचएस) सहित बहु-अनुशासनिक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन:** इसमें केन्द्रीय हिमालयी अध्ययन विश्वविद्यालय सहित बहु-अनुशासनिक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना, राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता एवं उत्कृष्टता केन्द्रों के सृजन का प्रावधान है।

14. **उच्चतर शिक्षा निधियन अभिकरण (एचईएफए):** उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए), एक गैर-लाभकारी संगठन को बाजार से धन उठाने के लिए स्थापित किया गया है और उन्हें दान और सीएसआर निधि के साथ पूरक बनाया गया है। इन निधियों का उपयोग हमारे शीर्ष संस्थानों में बुनियादी ढांचे में सुधार के वित्तपोषण के लिए किया जाता है और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से सेवित किया जाता है।
15. **विश्व स्तरीय संस्थान:** यह प्रावधान दस विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए है, इनकी स्थापना एक औचित्यापूर्ण समय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एक अनुकूल विनियामक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए की जाएगी जो उन्हें शिक्षण एवं शोध में वैश्विक उत्कृष्टता स्तर हासिल करने में सहायक होगा।
16. **प्रधानमंत्री बालिका छात्रावास:** यह स्कीम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जम्मू और कश्मीर के लिए 2015 के पीएम विकास पैकेज का एक घटक है। इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में बालिका छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
17. **गारंटी निधि के लिए ब्याज सहायता तथा अंशदान:** वर्ष 2009-10 से केन्द्र सरकार शोध अधिस्थगन अवधि के दौरान शिक्षा शुल्क पर उन छात्रों को ब्याज सहायता प्रदान कर रही है जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रूपए से कम है। छात्र ऋण गारंटी कायिक निधि का सृजन क्रेडिट गारंटी न्यास प्रबंधन के अंतर्गत किया जाएगा ताकि छात्र ऋण की अदायगी में चूक के विरुद्ध गारंटी मिल सके। इससे प्रसिद्ध संस्थानों को छात्रों द्वारा ऋण लौटाने में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, इससे वे अधिक छात्र ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी गारंटी से छात्र ऋण पर ब्याज की दर भी कम होगी।
18. **कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय य क्षेत्र की इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्कूलों से पास होने वाले 2 प्रतिशत छात्रों को कॉलेजों तथा विश्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विलंब को रोकने के लिए छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों को सीधे ई-बैंकिंग के माध्यम से संवितरित की जाती है। स्कीम का एक कम्पोनेंट जम्मू और कश्मीर की विशेष छात्रवृत्ति के लिए है।
19. **पीएम शोध अध्येतावृत्ति:** इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट छात्र जिसमें बी. टेक या एकीकृत एम टेक या एमएससी, विज्ञान और आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/आईआईआईटी पूरी की है या अंतिम वर्ष में है उसे आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा। ऐसे छात्र, जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं और चयन प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं जैसाकि पीएमआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, प्रथम दो वर्षों के लिए प्रतिमाह 70,000 रूपये अध्येतावृत्ति दी जाएगी, तीसरे वर्ष 75,000 रूपये और चौथे तथा पांचवें वर्ष में प्रतिमाह 80,000 रूपये दिया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में और सेमिनारों में अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा व्यय पूरा करने हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता को 2.00 लाख रूपये का अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 3,000 अध्येता (प्रतिवर्ष 1000) का चयन तीन वर्ष की अवधि के दौरान किया जाएगा।
20. **एम.टेक कार्यक्रम शिक्षण सहायता:** एम टेक कार्यक्रम अध्यापन सहायता बढ़ी हुई सहायता के रूप में प्रतिमाह 25,000 रूपये 2 वर्ष की अवधि के लिए आईआईटी/आईआईएससी में एम टेक कार्यक्रम में जीएटीई के जरिए चयनित और दाखिला प्राप्त शीर्ष छात्रों को दिया जाता है। चार वर्षों की अवधि में 2000 छात्रों के तीन बैच को या सहायता देने का प्रस्ताव है।
21. **आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (एनएमईआईटीटी) के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन को आईसीटी की क्षमता, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का



लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है। यह ई-शिक्षा के लिए उपयुक्त अध्यापन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है , आभासी प्रयोगशालाओं, ऑन लाइन परीक्षण और प्रमाणन के माध्यम से प्रयोग करने वालों की मार्गदर्शिका और शिक्षकों को ऑन-लाइन उपलब्धता और होम टीवी चैनल आदि के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना।

22. **वर्चुअल कक्षाओं और व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) सुव्यवस्थित करना:** स्वयं और एमओओसी के तहत वर्चुअल कक्षाएं सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से गुणवत्ता शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने में अध्ययन समर्थ प्रौद्योगिकी के नए प्रकार हैं। व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) अधिकांश प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सस्ताम तंत्र है। शीर्ष संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त संकाय, उत्कृष्ट शिक्षण पाठ्यक्रम के लाभ को सभी संस्थाओं में उनकी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखे बिना शिक्षा को सुचारू और सीमा रहित बनाकर विद्यार्थियों और संकाय के लिए वर्चुअल कक्षाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सहायता से प्रसारित किया जा सकता है।

23. **ई-शोध सिंधु:** यह योजना उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से देश में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए निधियन प्रदान करेगी। यह विश्वविद्यालय, कालेजों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य संस्थानों को पत्रिकाएं उपलब्ध कराएगी।

24. **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस):** इस योजना का लक्ष्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ शिक्षा सांख्यिकी को आवधिक रूप से प्रारंभ करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को सशक्त करना है।

25. **राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत, एकल माध्यम से तलाश करने की सुविधा के साथ अध्ययन संसाधनों की वर्चुअल रिपोजिटरी के कार्य ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) की प्रायोगिक परियोजना को प्रारंभ किया है। यह संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट तरीके से तैयार करने और सीखने के लिए लोगों को समर्थ बनाने और बहुल संसाधनों से आंतरिक खोज के लिए अनुसंधानकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रवेश और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।

26. **राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी:** यह सभी हितधारकों के लिए कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार लाने के लिए एक पहल है। एनएडी शैक्षणिक संस्थानों / बोर्डों / पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में दर्ज किए गए शैक्षणिक पुरस्कारों (डिग्री, डिप्लोमा, सेरीटिकेट्स, मार्कशीट आदि) का 24x7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। एनएडी न केवल एक अकादमिक पुरस्कार के लिए आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है बल्कि इसकी पुष्टि करता है और इसकी प्रामाणिकता और सुरक्षित भंडारण की गारंटी देता है।

27. **अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान, नैनो-सामग्री, नैनो-टेक्नोलॉजीज, मेकट्रोनिक्स, उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग / औद्योगिक डिजाइन, पेशेवर / व्यावसायिक नैतिकता, और कौशल विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

28. **अंतर सांस्थानिक केन्द्र स्थापित करना , उत्कृष्टता क्लस्टरों और नेटवर्कों की स्थापना, संस्थाओं में सहयोगियों को स्थापित करना:** इसमें अंतर सांस्थानिक केन्द्र स्थापित करना, उत्कृष्टता क्लस्टरों और नेटवर्कों की स्थापना और संस्थाओं में सहयोगियों की स्थापना किये जाने का प्रावधान शामिल है।

29. **राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल:** 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र , एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क की स्थापना और इन्हें आपस में जोड़ना। ओडीएस सहयोगी शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से अधिकतम पहुंच को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन आगे पहुंच के लिए स्कूलों के डिजाइन का नेटवर्क होगा और डिजाइन शिक्षा में पहुंच प्रदान करेगा और देश में डिजाइन शिक्षा और नवाचार के मानक को बढ़ाएगा।

30. **उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल:** तकनीकी स्थानांतरण की राष्ट्रीय पहल स्कीम अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप इंडिया पहल के नए रूप में शुरू की गई है। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संपर्क को सशक्त करने और सहयोगी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु अनुसंधान पार्क के कार्यवाहकों के माध्यम से उद्योग के साथ ऐसे संपर्कों को जोड़ने अधिकांश भारतीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

31. **उन्नत भारत अभियान:** उन्नत भारत अभियान मिशन उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को विकास चुनौतियों की पहचान करके और धारणीय विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान निकालकर ग्रामीण भारत में लोगों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और परिपाटी उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के बावत कार्य करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टरों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

32. **उच्चतर अविष्कार अभियान:** उच्चतर स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से जो उद्योग की आवश्यकताओं पर सीधे प्रभाव डालता है और उसके द्वारा भारतीय विनिर्माण सुधारता है, अक्टूबर, 2015 में एमएचआरडी द्वारा यूएवाई प्रारंभ किया गया था। इस स्कीम में अनुसंधान परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निधियां देखकर प्रायोजित उद्योग और परिणामोन्मुखी अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।

33. **इंफ्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन (अनुसंधान नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव):** यह योजना प्रमुख संस्थानों में शोध को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का इरादा रखती है जो देश के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इस पहल के अंतर्गत, 10 चयनित डोमेन के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को संयुक्त रूप से एमएचआरडी और अन्य भाग लेने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। द्वितीय चरण इंफ्रिंट-II को थोड़ा संशोधित रणनीति के साथ लिया गया है।

34. **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के समग्र सेक्टर पर व्यापक फोकस देना है। यह प्रभावशाली संयोजन के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित चल रहे कार्यक्रमों को समेकित और सशक्त करेगा। यह वर्तमान सभी पहलुओं के बीच तालमेल विकसित करने के लिए एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा और शिक्षण/संकाय संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए व्यापक साधन के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यक्रम में एकल स्तर पर क्षमता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देने के लिए सांस्थानिक महत्व को बढ़ाएगा।

35. **राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यवाहक:** यह कार्यवाहक देश भर में संस्थाओं को रैंक प्रदान करने की कार्यविधि दर्शाता है। यह कार्यविधि विभिन्न विश्वविद्यालय और कालेजों की रैंकिंग के लिए व्यापक पैरामीटर की पहचान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित कोर समिति द्वारा व्यापक विचार-विमर्श कर और समग्र सिफारिशों के आधार पर बनाई जाती है। इन पैरामीटरों में व्यापक रूप से "शिक्षण, अध्ययन और संसाधन", "अनुसंधान और व्यावसायिक कार्य", "स्नातक प्रतिफल", "पहुंच और समावेशन", "अवधारणा" कवर होती है।

36. **शैक्षिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान):** इसका लक्ष्य भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और उद्यमियों का प्रतिभा पूल बनाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रोत्साहन देना है जिससे देश के वर्तमान शैक्षिक संसाधनों को



बढ़ाया जा सके, गुणवत्ता सुधार की गति को बढ़ाया जा सके और वैश्विक उत्कृष्टता के लिए भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता को आगे ले जाया जा सके।

37. **भारत सरकार को तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ईएपी):** यह विश्व बैंक से निधिबद्ध परियोजना है जिसके कार्यकलाप इस प्रकार हैं : (i) शैक्षिक उत्कृष्टता नेटवर्किंग इंजीनियरिंग संस्थान का विकास (ii) केन्द्रीय सेक्टर के तहत प्रबंधन क्षमता बढ़ाना।

38. **सामुदायिक कॉलेज सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा को सहायता:** इसमें सामुदायिक कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा का प्रावधान शामिल है।

39. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इस योजना में औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्तीर्ण स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों और 10+2 व्यवसायिकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान करती है और वीओएटी/बीओपीटी के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

40. **योजना, प्रशासन और वैश्विक कार्यक्रम:** इसमें वैश्विक कार्यों के लिए पहल, अधिकरणों की स्थापना, प्रत्यायन प्राधिकरण, एनसीएचईआर और राष्ट्रीय वित्त निगम, प्रबंध हेतु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है। शास्त्री इंडो कनेडियन संस्थान के गैर सरकारी सदस्यों को टीए/डीए, भारत में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा प्रतिष्ठान को आयकर और सीमा-शुल्क वापस करना, यूनेस्को को अंश, यूनेस्को सम्मेलनों आदि के प्रतिनियुक्ति और शिष्टमंडल, भारत में विदेशी शिष्टमंडल का दौरा, और समितियों/सम्मेलनों की बैठकों का आयोजन तथा यूनेस्को के लक्ष्य और उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना, एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी निगम।

41. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वयन और निर्धारण के प्रयोजन से 1956 में संसद के एक नियम के तहत हुई थी। जबकि यूजीसी सभी पात्र विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालय संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता का प्रावधान अलग से किया जाता है।

42. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली की स्थापना वर्ष 1945 में परामर्श निकाय के रूप में हुई थी। इसे 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया था, जो 28 मार्च, 1988 से प्रभाव में आया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य देशभर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों की उचित रखरखाव और आयोजनाबद्ध मात्रा वृद्धि और विनियमन के संबंध में ऐसी शिक्षा के लिए गुणात्मक सुधार संवर्धन करना है।

43. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (सीयूएस):** केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है जिनकी स्थापना अनुसंधान और अनुदेशीय सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतःविषय अध्ययन उपलब्ध कराते हुए और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवाचार के माध्यम से ज्ञान के मुजन और प्रसार को ध्यान रखते हुए की गई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम और उसके तहत निर्मित विधियों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिशासित होते हैं।

44. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश:** केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन का प्रावधान है।

45. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटन का प्रावधान है।

46. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करना; और अधिगम का विकास एवं ज्ञान का प्रसार करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करना।

47. **आईआईटी आंध्र प्रदेश:** आईआईटी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन का प्रावधान किया गया है।

48. **आईआईटी हैदराबाद (ईएपी):** आईआईटी हैदराबाद की ईएपी परियोजनाओं के लिए आवंटन का प्रावधान है।

49. **भारतीय खनन स्कूल, धनबाद:** (आईएसएम) धनबाद की स्थापना 1926 में खनन उद्योग के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने के लिए की गई थी। वर्ष 1967 आईएसएम का समवत विश्वविद्यालय दर्जे के साथ-साथ स्वायत्त संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया था। संस्थान 2016 में प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से आईआईटी में परिवर्तित किया गया था और इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की लीग में आ गया है। संस्थान प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के संबंधित विषयों में प्रशिक्षण जनशक्ति के अलावा खनन, पेट्रोलियम, खनन मशीनरी, खनिज इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों में मानव संसाधन की जरूरतों को पूरा करता है।

50. **नए आईआईटी की स्थापना:** आईआईटी प्रणाली के विस्तार के रूप में और देश में विश्व स्तर की तकनीकी शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़ और पलक्कड़ में पांच नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं।

51. **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी:** प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सभी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) को एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर टेस्टिंग संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए है।

52. **भारतीय प्रबंध संस्थान को सहायता:** भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थादनों की स्थापना उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रबंधन में परामर्शी के उद्देश्यों से की गई थी। ये संस्थाधन, स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), अध्येकतावृत्ति कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं।

53. **आईआईएम, आंध्र प्रदेश:** आईआईएम, आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।

54. **नए आईआईएम की स्थापना:** तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच को विस्तार देने के भाग के रूप में, शामिल न किए गए राज्यों में नये घोषित आईआईएम के लिए आवंटन का प्रावधान है।

55. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता:** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के मुख्य कार्य संपूर्ण देश में उचित योजना और तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास में समन्वय करना, योजनागत मात्रात्मक विकास तथा तकनीकी शैक्षिक प्रणाली के मानदण्डों एवं मापदण्डों का समुचित रखरखाव के संबंध में ऐसी शिक्षा में गुणात्मक सुधारों को बढ़ावा देना है।

56. **एनआईटी आंध्र प्रदेश:** एनआईटी आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।

57. **भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन (आईआईईएसटी) (बीईएसयू एवं सीयूएसएटी):** एक राज्य विश्वविद्यालय जिसका नामतः बंगाल इंजीनियरिंग एवं विज्ञान विश्वविद्यालय शिवपुर है को एनआईटीएमईआर अधिनियम में रूपांतरण और निगम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में एनआईटीएसईआर अधिनियम द्वारा अर्थात् भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसईटी) के रूप में परिवर्तित करके शामिल किया गया है। इस संस्थान संस्थान के लिए प्रावधान किया गया है।
58. **भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता:** आईआईएसईआर भारत में एक अनूठी पहल है जहां शिक्षण और शिक्षा आधुनिक शोध के साथ पूर्णतः एकीकृत हैं जो अनुसंधान के बौद्धिक रूप से जीवंत माहौल में जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक आईआईएसईआर एक स्वायत्त संस्था है जो स्वयं के मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं।
59. **आईआईएसईआर आंध्र प्रदेश:** आईआईएसईआर आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।
60. **भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता (आईआईएससी):** भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) 1909 में स्थापित किया गया था। में आईआईएससी भारत में उच्च वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थान बन गया है।
61. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता देना (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम):** यह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को निधियों प्रदान करता है। (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) के लिए नियमों का प्रावधान है।
62. **सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** आईटी व्यवसायिकों की मांग को देखते हुए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, स्थापित किए गए हैं।
63. **आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश:** आईआईआईटी आंध्र प्रदेश को आवंटन का प्रावधान है।
64. **मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान:** यह पहल में प्रतिभावान छात्रों को मानविकी में कार्यक्रमों का चयन को प्रोत्साहित करने और उसके शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत शामिल किए गए परिषदों में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएसएस) शिमला भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण परिषद संस्थान (एनसीआरआई), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली हैं। इसमें भारतीय विज्ञान, दार्शनिकता और संस्कृति के इतिहास की परियोजना (पीएचआईएसपीसी) के लिए आवंटन भी शामिल है।
65. **भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए संस्थानों को अनुदान:** इसमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान और भारतीय भाषाओं में गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु प्रावधान शामिल है।
66. **राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुम्बई (एनआईटीआईई) मुम्बई 1963 में अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से यूएनडीपी की सहायता के साथ भारत सरकार द्वारा

- एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एनआईटीआईई को एक गुणवत्तायुक्त सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई है।
67. **आयोजना एवं वास्तुकला के नए स्कूल:** आयोजना तथा वास्तुकला के स्कूलों को देश के तथा विश्व के ऐसे संस्थानों में अपनी किस्म के शीर्ष संस्थान के रूप में माना जाता है जो डिजाइन तथा मानव आवादी के सभी पहलुओं में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है।
68. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर):** यह ऐसे संस्थानों की स्थापना की एक पहल है जिनका उद्देश्य डिग्री एवं डिप्लोमा स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन भी करना है।
69. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और कानपुर:** भारत सरकार ने भारत के चार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे चार प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड स्थापित किये हैं जिनका मूल उद्देश्य नौकरी पर एक वर्ष के माध्यम से वास्तविक कार्यशील वातावरण में नए इंजीनियरों की क्षमता में सुधार करना और उन्हें प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961, जिसे वर्ष 1973 और 1986 में संशोधित किया गया था, के प्रावधानों के अंतर्गत स्नातक/तकनीशियन/तकनीशियन (व्यवसायिक) प्रशिक्षु के रूप में काम करना है।
70. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगू):** इगू की स्थापना जनता के सभी वर्गों, विशेषकर लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा के प्रति पहुंच प्रदान करने, सतत शिक्षा प्रदान करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने, महिला, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों को शुरू करने और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संसद अधिनियम के तहत 1985 में की गई थी। इगू का राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों (एसओयू) के विकास में योगदान रहा है और इगू के कार्यक्रमों की विशिष्ट सहायता के रूप में अलग से इगू के माध्यम से राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
71. **अन्य संस्थानों को सहायता:** इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है – भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, संवर्धन कार्यक्रमों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा), अरोविले प्रबंधन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग तथा एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।
72. **केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नत मानव विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से इतर उच्चतर शिक्षा का कोई संस्थान जो अध्ययन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक उच्च मानकों पर कार्यरत है, केन्द्र सरकार द्वारा (यूजीसी के परामर्श पर) सम विश्वविद्यालय के संस्थान घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को सम विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है वे विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक स्तर एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ मानव विश्वविद्यालयों का निधियन यूजीसी द्वारा किया जाता है तथा कुछ का वित्तीय प्रबंधन निजी स्रोतों से होता है।
77. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):** यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की उच्चतर एवं तकनीकी संस्थाओं को कार्यनीतिक निधियन प्रदान करना है। राज्य, व्यापक राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं को तैयार करेंगे जिसमें विस्तार, साम्यता और उत्कृष्टता के मुद्दों को एक साथ हल करने के लिए पारस्परिक संबद्ध कार्यनीति का प्रयोग किया जाएगा। केन्द्रीय निधियन को राज्य उच्चतर शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के साथ जोड़ा जाएगा।

79. **विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** इसमें विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की देयता को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।